<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>मंगलाराम बनाम लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर)
सू.अ.अपील संख्या 209 / 2022</td><td>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>28.07.22</td><td>अपीलार्थी मंगलाराम बेनीवाल निवासी ग्राम पोस्ट बेनीवालों की ढाणी, कुरची खींवसर, नागौर (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.02.2022 में उसके द्वारा (1) उपखण्ड अधिकारी, कृषि भूमि रूपान्तरण अधिकारी जोधपुर द्वारा माह दिसंबर, 1989 में जारी प्रत्येक पट्टे का विवरण प्रदान करने जिसमें पट्टा क्रमांक, पट्टा जारी करने की दिनांक, प्रार्थी का नाम जिसे पट्टा जारी किया गया व उस स्थान का विवरण जहां का पट्टा जारी किया गया जिसमें ग्राम, खसरा न. व प्लॉट न. हो (2) अन्य बिन्दूओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</td><td></td></tr>
</table>